कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली दि० 9.4.2018 को पेश हो।

दि० 9.4.2018

पक्षकारान अनुपस्थित।
आज साहब श्री ब्रजेश चतुर्वेदी मंत्रीजी के प्रोटोकॉल ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण रामपुर में
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 15.6.2018 को पेश हो।

दि० 15.6.2018

आज यह पत्रावली राजस्व अ० के० रामपुर में पेश हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी उपस्थित हुये। अन्तर्गत सीमाज्ञान रिपोर्ट शीघ्र पेश करने हेतु समय चाहते हैं। समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 23.7.2018 को पेश हो।

पुनश्च :-
दिनांक 15.6.2018

इतना लिखते ही दौरान सुनवाई प्रार्थी बहलीमल (विरोधी) ने प्रवाद पेश कर निवेदन किया कि बहलीमल, विपक्षी के आदेश क्रमांक / भू०प्र० / सीमाज्ञान / 17 / 4951 दिनांक 5.10.2017 द्वारा ग्राम रामपुर के ख०नं० 2117/709 रकबा 0.85 हेक्टेयर का सीमाज्ञान मौके पर भू अभिलेख के साथ संबंधित पत्रावली हल्का रामपुर में किया हुआ परन्तु आवेदक मौके सीमाज्ञान से सन्तुष्ट नहीं हुआ। मौके पर विवाद की स्थिति है। अतः सीमाज्ञान कर मौके पर पैमाइश करवाये गये। पड़ोसी खातेदार भी मौके पर उपस्थित थे। ख०नं० 2117/709 के पूर्व दिशा में विवाद की स्थिति होने से पत्रावली पेश जाना उचित होगा।

इसके विपरीत, प्रतिवादी की पत्रावली में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत संवत 2071-2074 खाता नं० 243, ग्राम नगला रामपुर, सीमाज्ञान आदेश क्रमांक 4951 / दि० 5.10.2017 द्वारा वह का शहनवाजपुर कब्जा कर उस पर [illegible]

प्रकरण सं. 181/2017 अन्तर्गत 128 L.R.Act प्रकाशकुमार V/S राजेश

के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खा.नं. 2117/709 मौके पर पड़त है तथा पड़ोसी खातेदार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने की संभावना है तथा प्रार्थी व पड़ोसी खातेदार के बीच विवाद, झगड़ा हो सकता है तथा मामला कानूनी उलझन मे पड़ सकता है तथा अन्य कई समस्याऐ जन्म ले सकती है प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पत्थरगढ़ी (Boundary Marking) करवाना चाहता है। अतः तहसीलदार सिरोही के इजरा नामा खा.नं. 2117/709 के पूर्व दिशा मे विवाद की स्थिति है। अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 L.R.Act का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमि दाटी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी हक्कों आराजी की कृषि भूमि मौजा सनपुर तहसील सिरोही के स्थित खा.नं. 2117/709 रकबा 0.85 हेक्टेयर पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार पड़ोसी खातेदारान कृषि भूमि खा.नं. 687, 688 से विवाद है उक्त दोनों प्रार्थी व पड़ोसी दोनों पक्षों की उपस्थिति मे संबंधित पटवारी हल्का सनपुर व भू.अ.नि. मोरमाफाड़ की टीम गठित कर कराया जावे। निर्णय का प्रो. अ. कोर्ट सनपुर मे सरे आम मे सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

15/6/18

उपखण्ड अधिकारी सिरोही